

कार्यालय,
रायिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता / 2020 / 1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में वैठक संपन्न हुई। वैठक में समिति द्वारा सत्र क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की वैठक के मद-02 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने लिया गया।

“निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आ॒०सी॒०टी॒०ई॒० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आ॒०सी॒०टी॒०ई॒० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आ॒०सी॒०टी॒०ई॒० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की वैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुकम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० स०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आ॒०सी॒०टी॒०ई॒० /द्वारा 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1199	ए०आ॒०सी॒०टी॒० पालीटेक्निक, छुटमलपुर, तह०-बेहट, सहारनगर।	सिविल इंजी० इलेक्ट्रिकल इंजी० इलेक्ट्रोनिक्स इंजी० गैकेनिकल इंजी० प्रोड०	60 60 60 60	60 60 60 60

- ✓ संस्था ए०आ॒०सी॒०टी॒०ई॒०/पी०सी॒०आ॒० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


- ✓ सरका में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आनंदित छात्रों को ही प्रवेश किया जायेगा। यीं के लिए इह जाने की रिप्टि में उत्तर प्रवेश शामिल के निरीणानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सरका को समय-समय पर निरीणाना प्रवेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सरका को प०आई०सी०प०इ०/प०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सरका उत्तर प्रवेश शामिल द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/साक्षात्कारों/निर्देश एवं निवेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विविधों, आदेशों, नियतों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की सरकार यदि फीसीआई. नई नियमी से अनुगोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सामर्त उत्तरदायित सरका का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सरका खाय उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निवेशकलय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रवेश शामिल को कोई वाय दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भा ज्ञायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश नियत किया जाता है तो सामर्त प्रतिपूर्ति संबंधित सरका को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक तर्फ के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कालिन्यालिंग द्वारा होने के पूर्ण नियमोंमें से अनुपालन प्राप्त कर परिषद कालिन्यालिंग को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (कालिन्यालिंग के पाठ्यक्रम से अथवा सरका रतर परीक्षा) अनुमति नहीं प्रदान की जायगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु नियत नवीनतम अल्याण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सरका को अपने वेबसाइट पर सरका की सामर्त यूनियन जैसे सरका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रटाफ, साज राज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, घावावारा शुल्क आदि का निवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सरका को शिक्षा प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वालावरण उपलब्ध कराने के साथ रेमिंग रोकने के सामर्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सरका यह सुनिश्चित हो ले कि सरका में प्ररतावित/संचालित पाठ्यक्रम को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, गृहि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि सरका द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सरका उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल सरका की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की रिप्टि में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)
सचिव/कृते सचिव

प०र्यां- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/नियेशक, एम०आई०एम०टी० पालीटेक्निक, छुटगजपुर, ताड०-बैठट, सामारनपुर।


(मानेन्द्र कुमार कनौजिया)
सचिव/कृते सचिव